

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० - 1162
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2012

मंत्रालय में पदोन्नति में आरक्षण

1162. श्री अश्वेथ राजन :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या संविधान में 77वें संशोधन के माध्यम से किए प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में पदोन्नतियों में आरक्षण का कड़ाई से अनुपालन और कार्यान्वयन किया जाता है;
- (ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में सभी संवर्गों में हुई पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) इसे कितने समय में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भिलिंद देवरा)

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।
